फर्द अहकाम

गोपाल व अन्य बनाम सरकार

...क 378/2025

...ांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	वि ेश विवरण
..2025	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट की जाकर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थीगण के रकबे की शुद्धि किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन किये जाने से ज्ञात हुआ कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के साथ सम्वत् 2054–57 की जमाबन्दी पेश की है जिसमें भूरा नारायण पिता कालू हिस्सा आठ आना, रामकरण, लादू व श्योराम पिता धीसा हिस्सा सवा छह आना, कल्याण पुत्र छोटू हिस्सा पवने तीन आना अंकित है। जिसका कुल योग सतरह आना अंकित हैं, जबकि खाते का कुल योग सौलह आना होना चाहिए, इसी प्रविष्टि को आगे के चौसाला में अग्रलेख किया गया है, जो लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होता हैं, मिसल बदोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 में भूरा नारायण पिता कालू हिस्सा आठ आना, रामकरण, लादू व श्योराम पिता घीसा हिस्सा पांच आना, कल्याण पुत्र छोटू हिस्सा तीन आना अंकित है। जिसका कुल योग सौलह बना है और इसी क्रम में प्रविष्टि अग्रलेख किया जाना चाहिए था। जो नही की गई है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त गलती लिपिकीय त्रुटि होना प्रतीत होती है।, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रकबे की दुरूस्ती किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गणपतपुरा, पटवार हल्का कल्याणपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षे सांगानेर, तहसील सांगानेर के आराजी भूमि खाता संख्या 10 के खसरा नम्बर 360 रकबा 0.0200 है0, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.03 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.0500 है0 में प्रार्थी संख्या 1 का 11/64 भाग, प्रार्थी संख्या 2 का 7/48 भाग, प्रार्थी संख्या 3 का 7/48 भाग, प्रार्थी संख्या 4 का 25/192 भाग, प्रार्थी संख्या 5 का 7/48 भाग, प्रार्थी संख्या 6 का 25/192 भाग, प्रार्थी संख्या 7 का 25/192 भाग के स्थान पर प्रार्थी संख्या 1 का 3/16 भाग, प्रार्थी संख्या 2 का 1/6 भाग, प्रार्थी संख्या 3 का 1/6 भाग, प्रार्थी संख्या 4 का 5/48 भाग, प्रार्थी संख्या 5 का 1/6 भाग, प्रार्थी संख्या 6 का 5/48 भाग, प्रार्थी संख्या 7 का 5/48 भाग दूरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार सांगानेर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	